

1. शीट 2 पत्रावली पेश हुई। मधिकार उग्रमपट्ट 25।  
 मधिकार उग्रमपट्ट की पत्रावली पर  
 लक्ष्य लुनी गई। लक्ष्य लुनने एवं  
 पत्रावली का मुक्ति मुक्ति मध्यम  
 करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष  
 है कि अपीलवाली मादेश मन्तव्य  
 धारा 81 भू-राजस्व अधि. में  
 पाठित किया गया है उक्त मादेश के  
 विरुद्ध न्यायालय द्वारा अपील  
 करने का अधिकार नहीं है।

Noted  
~~20/8/21~~

18.8.21

2.A.

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 बाडमेर

# फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम.....

..... यनाम.....

किरम मुकदमा ..... नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलोर क्षेत्राधिकार के विंदु पर खारिज की जाती है। अधिवक्ता हाजा न्यायालय हाजा में <del>की</del> पेच की गई अपील से जज अपीलोर को देने से वह न्यायप्रति ले वंचित हो जायेगा। न्यायति में अपीलोर को आद के विंदु में छूट दी जाती है तथा अपने हकों के लिए सहमत स्तर पर जांचोही करने हेतु स्वतंत्र हो पत्रावली फेराल बुमाल नंबर ले कर हाकर काद तकमील हाखिला दफतर हो। मादेवा की उति मय मधीनलय न्यायालय का मधिलेय लौरामा जावे।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाडमेर